रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2017/माघ 10, 1938
No. 241] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2017/MAGHA 10, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017

का.आ. 271(अ).— के लिए सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता कुशलता लाता है, और फायदाग्राहियों सुविधा पूर्व और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे चिन्हित प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करना है;

और नीचे सूचीबद्ध विभिन्न स्कीमों के अधीन आवासन सहायिकी प्रसुविधा में भारत की संचित निधि में से उपगत व्यय अंतर्विलित है;

(i) बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासन सहायिकी

(ii) लौह, मैगनीज और क्रोम अयस्क कर्मकारों के लिए आवासन सहायिकी

(iii) चूना पत्थर और डोलोमाइट कर्मकारों के लिए आवासन सहायिकी और

(iv) सिने कर्मकारों के लिए आवासन सहायिकी

अत: अब केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात:-

1. (1) ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन आवासन सहायिकी प्रसुविधा पाने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह उसके पास आधार होने का सूबत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करें।

(2) ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन आवासन सहायिकी प्रसुविधा पाने का इच्छुक ऐसा कोई व्यक्ति से जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा है, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार का श्रम कल्याण संगठन से, कल्याण आयुक्त के कार्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों या औषधालयों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और आस-पड़ोस में कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार का श्रम कल्याण संगठन विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर उपलब्ध करा सकेंगे और कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित अस्पतालों या औषधालयों को नामांकन अभिकरण के रूप में लगाकर, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

परन्तु व्यक्ति को आधार दिए जाने तक, ऐसे व्यक्तियों को ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन आवासन सहायिकी प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) (i) कर्मकार का पहचान-पत्र

(ii) यदि वह नामांकित हो, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान-पत्र पर्ची; या

(iii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, तथा

(ख) पहचान के निम्नलिखित सबूत-

(i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध आवासन सहायिकी प्रसुविधा उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकार का श्रम कल्याण संगठन, कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित अस्पतालों या औषधालयों तथा अन्य साधनों के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-

(1) आवेदकों या फायदाग्राहियों को ऊपर सूचीबद्ध आवासन सहायिकी प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा से उन्हें अवगत कराने के लिए कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा उन्हें, पहले से नामांकित न होने की स्थिति में, उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें, स्थानीय रुप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(1) यदि, फायदाग्राही कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित अस्पतालों या औषधालयों से उनके निवास स्थान तक पाँच से सात किलोमीटर की दूरी के भीतर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो राज्य सरकार के श्रम कल्याण संगठन से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा-केन्द्र का सृजन करे। आवेदकों या फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाए कि वह उस संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, जहां वह अध्ययनरत है, पते, अपने वेब पोर्टल पर दिए मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपना नाम देकर नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराए ऐसा तथा ऐसा अनुरोध कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा चालित अस्पतालों या औषधालयों में भी रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू - कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एम-11011/10/2014-डब्ल्यू-III]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2017

S.O. 271(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Housing Subsidy benefit under the schemes listed below involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

(i) Housing Subsidy to Beedi Workers;

(ii) Housing Subsidy to Iron, Manganese or Chrome Ore Workers;

(iii) Housing Subsidy to Lime Stone and Dolomite Workers; and

(iv) Housing Subsidy to Cine workers;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of receiving Housing Subsidy benefit under the schemes listed above is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of receiving Housing Subsidy benefit under the schemes listed above and is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Labour Welfare Organization of the State Government through hospitals or dispensaries run by the Welfare Commissioner's Offices required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in the absence of any Aadhaar enrolment center in the vicinity, the Labour Welfare Organization of State Government may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar and engaging hospitals or dispensaries run by the Welfare Commissioner's Office as enrolment agency:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, Housing Subsidy benefit under the schemes listed above shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Worker Identity card;

(ii) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Identity proofs as under—

(i) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by the Income Tax Department; or

(iii) Passport or

(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and seamless Housing Subsidy benefit under the schemes listed above to beneficiaries, Labour Welfare Organization of the State Government through hospitals or dispensaries run by Welfare Commissioner's Office and other means shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through Welfare Commissioner's Office shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive Housing Subsidy benefit under the schemes listed above and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment center available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within five to seven km from hospitals or dispensaries run by the Welfare Commissioner's Office from where they reside, then, the Labour Welfare Organization of the State Governmentis required to create enrolment facilities at convenient locations. The applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as,Identity card issued by the institute where he is studying, address, mobile number on their web portal and such requests may also be registered with the hospitals or dispensaries run by Welfare Commissioner's Office.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. M-11011/10/2014-W-III]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.01 16:01:17 +05'30'